पी0के0 गंगवार
पी0सी0एस0
कुलसचिव

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय
आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ–226021
दूरभाषः 0522–2732193
फैक्सः 0522–2732185

पत्रांकः उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2014/4492-97
दिनांक 16.07. 2014

सेवा में,

निदेशक,
के0आई0पी0एम0 कालेज आफ इंजी0 एण्ड टेक्नो0,
गोरखपुर।

विषयः– शैक्षिक सत्र 2014–15 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।

महोदय,

उयर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्ररिषद, नई दिल्ली के पत्र F.No. Northern/1-2010784996/2014/EOA, दिनांक 04.06.2014 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के द्वारा शासन के पत्र संख्या 1875/सोलह–1–2014–13(03)/2014 दिनांक 03.06.2014 एवं पत्र संख्या 2086/सोलह–1–2014–13(03) /2014 दिनांक 10.07.2014 को निर्गत आदेश के कम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार प्रवेश क्षमता के साथ

कोड–751	के0आई0पी0एम0 कालेज आफ इंजी0 एण्ड टेक्नो0, गोरखपुर	
पाठ्यकम	प्रवेश क्षमता	
	Ist Shift	IInd Shift
बी०टेक० सिविल इंजी०	60	0
बी०टेक० कम्प्यूटर साइंस	60	0
बी०टेक० इलेक्ट्रिकल इंजी०	60	0
बी०टेक० इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्यूनिकेशन	60	0
बी०टेक० मैकेनिकल इंजी०	60	0

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **शैक्षिक सत्र** 2014–15 हेतु दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यकम हेतु निर्धारित पठन–पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ–साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यकम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यकम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उ0प्र0प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त **अध्याय-6 (सम्बद्धता)** में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेंगी ।
8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय : 6.15)

Avinash(Aff./2014-15))8